राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 03.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 03.08.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जानी हैः–
   1. राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को रखी जाए।
   2. सबसे कम प्रगति वाले जिलों के 4 सीईओ की बैठक सचिव महोदय के स्तर पर दि. 17.8.2015 को रखी गयी है।
   3. योजनाओं के कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के संबंध में 3 मेमो जारी किये जायेगें और 3 मेमो उपरान्त 17 सीसी के नोटिस देने की कार्यवाही की जायेगी।
   4. विभाग की विभिन्न योजनाओं की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट के सुधार के लिए प्रत्येक माह के 15 दिवस में एक बैठक एनआईसी के प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के साथ की जायेगी।
   5. माह जून 2015 तक विभाग की योजनाओं की प्रगति 22.36 प्रतिशत रही है। आगामी माहों में वांछित प्रगति अर्जित करने हेतु प्लान बनाने के निर्देश दिये गये।

(समस्त योजना प्रभारी)

2. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पत्रावली संयुक्त सचिव (प्रशा.) को निर्णय हेतु भिजवादी गयी है।

(योजना प्रभारी)

3. इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृति आगामी एक माह में पूर्ण करली जावे। योजना में कम प्रगति वाले 79 पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को चार्जसीट जारी, जिसकी प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(योजना प्रभारी)

4. उदयपुर संभाग में आवास योजना की प्रगति की समीक्षा अगस्त माह से प्रारम्भ करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता आईएवाई को निर्देश दिये गये।

(योजना प्रभारी)

5. सीएसआर के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में उद्योग विभाग से परामर्श कर प्रस्ताव भिजवाने तथा आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के साथ बैठक रखने के निर्देश दिये गये।

(योजना प्रभारी)

6. आवास योजना की प्रथम किश्त 15 अगस्त 2015 तक तथा द्वितीय किश्त 31 दिसम्बर 2015 तक जारी की जानी है।

(योजना प्रभारी)

7. जिले के योजना प्राभारियों की बैठक हेतु संबंधित योजना प्रभारी एजेण्डा बनाकर 7 दिवस पूर्व अवगत करायेगे। उक्त बैठक हेतु पीपीटी तैयार करेगें जिसमें 5 अच्छा कार्य करने वाले व 5 कम प्रगति वाले जिलों को चिन्हित करेंगे।

(समस्त योजना प्रभारी)

8. जिलों के परियोजना अधिकारियों की आगामी माह को होने वाली बैठक में 1.4.2014 से पूर्व के अप्रारम्भ/ प्रगतिरत कार्यो को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में अपलोड करने का प्रमाण पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से प्राप्त कर बैठक में लाने के निर्देश दिये गये। अगर नहीं लाये तो चार्जशीट देवें।

(समस्त योजना प्रभारी)

9. प्रशासन शाखा प्रत्येक अनुभाग में रेन्डम से पैन्डेन्सी की जांच करेंगे तथा संबंधित योजना प्रभारी भी अपने अनुभाग का निरीक्षण कर पैन्डेन्सी का निस्तारण करेंगे।

(समस्त योजना प्रभारी)

10. प्रशासन शाखा प्रत्येक अनुभाग में रेन्डम चैकिंग करेगी कोई पीयूसी 5 दिवसों से अधिक लम्बित हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

(योजना प्रभारी)

11. आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर से संबंधित इश्यु पर होने वाली बैठकों में सभी योजना प्रभारी भाग लेगें तथा बैठक नियमित रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

12. डांग, मगरा, मेवात योजना में भेजे गये समस्त प्रस्तावों की स्वीकृतियॉ जारी कराया जाना सुनिश्चित करें । जिन जिलों द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की उनको मेमो जारी किया जाए।

(योजना प्रभारी)

13. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा दर निर्धारण की कार्यवाही 5 पंचायत समितियों में करायी जाये तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अलग से बैठक रखी जाए जिसमें विशेषतौर पर बहुत अधिक दर निर्धारण वाली पंचायत समितियों की दरों के संबंध में पुनर्विचार किया जाये।

(योजना प्रभारी)

14. वित्तीय सलाहकार द्वारा शेष रहे 3456 ग्राम पंचायतों में टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए तथा आगामी वर्षो के लिए फरवरी माह तक टेण्डर पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं किये गये है आदेश जारी करावें।

(वित्तीय सलाहकार)

15. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 15वीं लोकसभा की प्रगति के संबंध में प्रकरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

(पीडी एसएपी–एसएस)

16. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 154 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। शेष के चयन के लिए प्रत्येक सीईओ से व्यक्तिगत बात कर जहां आवश्यक हो शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र लिखवाया जाए।

(योजना प्रभारी)

17. यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विधान सभा प्रश्नों के जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो शासन सचिव महोदय बैठक रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

18. Secc-2011 का पॉवर प्रजेन्टेशन दि. 6.8.2015 को 2.30 बजे प्रस्तुतीकरण हेतु रखने के निर्देश दिये गये।

(योजना प्रभारी)

19. मा0 मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सामुदायिक भवन की राशि घटाने व उसके आकार के संबंध में दिये गये निर्देशों को रिवाईज करने तथा नलकूपों के संचालन हेतु स्थानीय यूजर कमेटी को संचालन की जिम्मेदारी हेतु दिये गये प्रस्तावों की पत्रावली आज प्रस्तुत कर दी गई है।

(योजना प्रभारी)

20. आगामी बैठकों में प्रत्येक योजना प्रभारी आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करेगें अतः सभी योजना प्रभारी वैबसाईड पर उपलब्ध एमपीआर का पूर्ण अध्ययन कर बैठक में उपस्थित होगे।

(योजना प्रभारी)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)